SPS INTERNATIONAL LIMITED
CIN: L74140HR1993PLC031900
Regd off: Plot No. 197,Sector 68, I.M.T., Faridabad, Haryana- 121004
E-mail: radhamony.nair@gmail.com; Website: www.spsintl.co.in
Ph: 9810568630

ISO: 9001:2008 | ISO9001 CERTIFIED VINCOTTE

Extract of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2018

(Rs. In Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2018 (Un-audited)	Year to date figures for the period ended 30.09.2018 (Un-audited)	Quarter ended 30.09.2017 (Un-audited)
1	Income			
	a) Revenue from operations	449.66	1429.76	165.25
	b) Other income	50.42	171.79	122.34
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	41.48	123.5	21.85
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	41.48	123.5	21.85
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	31.11	92.62	21.85
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)] (Refer Note No. 2)	31.11	92.62	21.85
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/-)	322.59	322.59	322.59
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(As on March, 18)	(As on March, 18)	(As on March, 17)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations):			
	Basic:	0.96	2.87	0.68
	Diluted:	0.96	2.87	0.68

On Behalf of the Board
For SPS International Limited
Sd/-
Surendra Kumar Jain
Chairman & Managing Director

Place: Faridabad
Date: 26th October, 2018

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Un-audited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2018 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Un-audited Financial Results are available on the Company's website (www.spsintl.co.in) as well as on stock exchange's website (www.bseindia.com).
2. The Company has adopted Indian Accounting Standard ("Ind AS") from 1st April, 2016 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Ind AS 34 "Interim Financial Reporting", prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

अदालत ने मांगी चिटफंड कंपनियों की जांच की प्रगति रिपोर्ट

रांची, 26 अक्तूबर (भाषा)।

झारखंड हाई कोर्ट ने चिटफंड कंपनियों की सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है।

मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति डीएन पटेल के खंडपीठ ने शुक्रवार को कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआइ और ईडी को 30 नवंबर तक जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने सेबी से यह बताने को कहा है कि ऐसे मामलों में निवेशकों को राशि वापस करने के क्या नियम हैं और किस तरह उन्हें राशि वापस की जा सकती है।

अदालत ने कोलकाता की फॉल्कन ग्रुप ऑफ कंपनी व फॉल्कन इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, कोलकता के निदेशकों और अधिकारियों की संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण पर रोक भी लगा दी। अदालत ने कहा कि संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण के पूर्व उच्च न्यायालय की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। बिना अदालत की अनुमति के संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोनों कंपनियों को नोटिस जारी करके यह बताने को भी कहा कि निवेशकों की ओर से ली गई राशि कहां निवेश की गई है।

सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से बताया गया कि इस मामले में जांच जारी है। चूंकि कई कंपनियों की जांच हो रही है, इस कारण इसमें समय लग रहा है। एक साथ सीबीआइ को सभी मामले नहीं मिले हैं। क्रमवार मामले जांच के लिए सौंपे गए हैं। इस कारण एकसाथ जांच रिपोर्ट नहीं दी सकती।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

शाखा- ई. के. रोड, मेरठ

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिक्न्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाए गए खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति/सम्पत्तियों का **सांकेतिक अधिग्रहण** कर लिया है। ऋणी/ऋणियों/ गारन्टरों/ बंधककर्ताओं को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति/सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

खाते का नाम व पता	ऋणी का नाम व पता	बन्धक रखी गयी प्रापर्टी का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	सांकेतिक कब्जा नोटिस की तारीख	मांग नोटिस की तारीख को बकाया राशि
मै0 सिज्जलिंग बैवरेजेज प्रा0 फैक्ट्री – लिमिटेड, प्लॉट संख्या –25, सेक्टर –8, वेदव्यासपुरी, मेरठ। (यूपी)। पिन –250103 पजी0 पता: – 43, ढोलकी मौहल्ला, सदर बाजार, मेरठ कैंट, मेरठ (यूपी)	मै0 सिज्जलिंग बैवरेजेज प्रा0 लिमिटेड, प्लॉट संख्या– 25, सेक्टर –8, वेदव्यासपुरी, मेरठ (यूपी)। पिन –250103	(1) भूमि और भवन स्थित खसरा नं –1733 जे का भाग, मुख्य एनएच –58, दौराला, परगना– दौराला, तहसील सरधना, जिला–मेरठ क्षेत्रफल 1381.00 वर्ग मीटर मैसर्स पवनसूत बिल्डर्स और कॉलोनिजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। (2) दृष्टि बंधक चालू परिसंपत्तियाँ, स्टॉक प्रक्रिया में, तैयार सामान सहित प्राप्तियां / बुक ऋण फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लॉट संख्या 25, सेक्टर –8, वेदव्यासपुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिठानी के पास, मेरठ (यूपी) (3) दृष्टि बंधक चालू परिसंपत्तियाँ, स्टॉक प्रक्रिया में, तैयार सामान सहित प्राप्तियां / बुक ऋण फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लॉट संख्या 25, सेक्टर –8, वेदव्यासपुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिठानी के पास, मेरठ (यूपी)	16.07.2018	23.10.2018	रु. 7,28,58,953.18

दिनांक : 26–10–2018 स्थान : मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

स्टर्लिंग बॉयोटेक के प्रवर्तकों के खिलाफ अदालत पहुंचा ईडी

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करीब 8,100 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में शुक्रवार को अदालत का रुख कर स्टर्लिंग बायोटेक के मालिकों को नए कानून के तहत भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की। केंद्रीय एजंसी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम की एक विशेष अदालत के समक्ष याचिका दायर की है। एजंसी ने नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, दीप्ति संदेसरा और हितेश पटेल को इस साल लाए गए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम की धारा चार के तहत भगोड़ा घोषित करने की मांग की है। केंद्र सरकार बैंकों के साथ धोखाधड़ी और इस तरह के अन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए इस साल यह कानून लाई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, '8,100 करोड़ रुके बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आपराधिक जांच से बचने के लिए समूह के सभी चार प्रवर्तक देश छोड़ कर फरार हो गए।'

केनरा बैंक Canara Bank ई–नीलामी सूचना

केनरा बैंक, असेट रिकवरी मैनेजमेंट ब्रान्च–1, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली

ऑनलाइन ई–नीलामी के माध्यम से दृष्टिबंधन के तहत वाहन की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

केनरा बैंक द्वारा निम्नलिखित वाहनों की ई–नीलामी ''जैसी है जहां है'' के आधार पर बिक्री सेवा प्रदाता मैसर्स सी 1 इंडिया लमिटेड, विनोद चौहान, मोबाइल नंबर 9813887931, 7291981124/1125/1126, लैंड लाइन नंबर 0124-4302020/21/22/23/24 ई–मेल : support@bankeauctions.com के माध्यम से पोर्टल www.bankeauctions.com पर संचालित की जाएगी।

कर्जदार का नाम	वाहन का विवरण	सुरक्षित मूल्य	ईएमडी (रू.)
श्री नितिन अरोड़ा पुत्र श्री विनोद कुमार अरोड़ा, मकान नंबर 4/127, कृष्ण नगर, निकट विजय चौक, दिल्ली–110051	जैगुआर XJ 3.0 D पोर्टफोलियो (36667), अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर DL2TC0256, माडल 2014, कलर CASHMERE, इंजन नंबर 0631641306 DT, चेसिस नंबर SAJAC2651CNV36667 (सूचना के अनुसार वाहन को अभी तक स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर आबंटित नहीं किया गया है)	32,00,000/-	3,20,000/-

नीलामी की तिथि	नीलामी का समय	वाहन के निरीक्षण की तिथि
17–11–2018	अप. 12.30 बजे से अप. 01.30 बजे के बीच (समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली आने पर 5 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ)	14–11–2018 एंव 15–11–2018 अप. 02.00 बजे से अप. 05.00 बजे के बीच

ई–नीलामी निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार संचालित की जाएगी :

1. ईएमडी 16–11–2018 को अथवा पूर्व अप. 05.00 बजे तक **"केनरा बैंक, ए.आर.एम. शाखा, करोल बाग, नई दिल्ली"** के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा ऑनलाइन माध्यम से **(आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण) खाता नंबर 2365296000001, आईएफएससी कोड CNRB0002365, केनरा बैंक** के क्रेडिट हेतु जमा की जाएगी। **2.** इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करवाना होगा तथा अपनी यूजर आईडी तथा पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता **मैसर्स सी 1 इंडिया लमिटेड, विनोद चौहान, मोबाइल नंबर 9813887931, 7291981124/1125/1126, लैंड लाइन नंबर 0124-4302020/21/22/23/24 ई–मेल : support@bankeauctions.com** से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। **3.** बोली प्रपत्र की एक प्रति संलग्नक (आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड तथा निवास का प्रमाण जैसेकि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड इत्यादि की प्रति) मोबाइल नंबर के साथ मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, असेट रिकवारी मैनेजमेंट ब्रान्च–1, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 को प्रेषित की जाएगी। **4.** वाहन सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा तथा प्रतिभागी बोलीदाता अपनी ऑफर नीलामी प्रक्रिया के दौरान, रू. 10,000/– के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। **5.** उच्चतम बोलीदाता को बोली की 25 प्रतिशत राशि तत्काल और शेष 75 प्रतिशत राशि बिक्री की तिथि से 7 दिन के भीतर जमा करनी होगी। उपरोक्त राशि जमा करने में असफल रहने पर उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में बिक्री निरस्त कर दी जाएगी, पहले जमा की जा चुकी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा वाहन नए सिरे से नीलाम किया जाएगा। राशियां ऊपर पैरा 1 में वर्णितानुसार अदा की जाएंगी। **6.** बिक्री की पुष्टि बोली की पूरी रकम प्राप्त होने पर उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में की जाएगी। **7.** भुगतान/राशि जमा के ऐवज में बिक्री की पुष्टि पर बेचा गया वाहन सफल बोलीदाता को "जैसा है जहां है शर्त" पर सौंपा जाएगा। **8.** असफल बोलीदाता जो अपनी ईएमडी जमा कर चुके हैं अपनी जमा राशि समुचित समय के भीतर बिना ब्याज प्राप्त करने के हकदार होंगे। **9.** बैंक वाहन में किसी भी प्रकार की खराबी के लिए जिम्मेदार नही होगा तथा किसी भी प्रकार की कोई वारंटी नहीं है। **10.** बोलीदाता, यदि इच्छुक हैं, सार्वजनिक नीलामी आरंभ होने से पहल वाहन का निरीक्षण 14–11–2018 एंव 15–11–2018 को अप. 02.00 बजे से अप. 05.00 बजे के बीच केनरा अपार्टमेंट्स, सेक्टर–26, नोएडा में कर सकते हैं। **11.** बैंक सफल बोलीदाता को कोई आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र/बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा तथा वाहन का स्वामित्व सफल बोलीदाता के पक्ष में अंतरित करवाने में सहायता करेगा। तथापि, सफल बोलीदाता को वाहन के स्वामित्व के अंतरण/वाहन अपने नाम पंजीकृत करवाने हेतु कदम उठाना होगा तथा अधिकार अंतरण, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेज इत्यादि वहन करने होंगे। (कृपया नोट करें कि बैंक की जानकारी के अनुसार वाहन को स्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर आबंटित नहीं किया गया है) **12.** बैंक का नीलामी निरस्त करने अथवा बिना कोई कारण बताए उच्चतम बोली स्वीकार नहीं करने का अधिकार सुरक्षित है। **13.** वाहन बैंक के कब्जे में है। बैंक की जानकारी के अनुसार वाहन पर काई ऋणभार नहीं है। 14. यह बिक्री माननीय **ऋण वसूली न्यायाधिकरण–।।। द्वारा ओ.ए. नंबर 4/2015 में आई.ए. नंबर 1317/2016 में आदेश दिनांकित 08–09–2016 के माध्यम से दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही है। इच्छुक बोलीदाता श्री मनु पांडे, मुख्य प्रबंधक (मोबाइल नंबर 9560062365), श्री अमिताभ चौधरी, प्रबंधक (मोबाइल नंबर 9599681614) ; फोन नंबर 011–28751655 ; ई–मेल आईडी : cb2365@canarabank.com से सम्पर्क कर सकते हैं।**

तिथि : 25–10–2018, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

ऐक्सिस बैंक लि0

रिटेल एसेट्स सेंटर : प्रथम तल, जी–4/5, बी, सेक्टर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226010
कारपोरेट आफिस : तृतीय तल, ब्लाक–बी, बाम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुरंग बुधाकर मार्ग, वर्ली मुम्बई–400 025
रजिस्टर्ड आफिस : 'त्रिशूल', तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380 006

आधिपत्य नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरी, **ऐक्सिस बैंक लि0** के प्राधिकारी, ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेन्ट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये।

उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः एवं उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **भौतिक कब्जा** ले लिया है।

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा **ऐक्सिस बैंक लि0** के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुषंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा।

ऋणी/सह–ऋणी/बन्धकर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

क्र. सं.	ऋणी बंधककर्ता का नाम एवं पता	सह–ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ता का नाम व पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया धनराशि तिथि तक	देय सूचना की तिथि
1.	**श्री सुब्रतो भट्टाचार्य @ सुब्राता भट्टाचार्य** पुत्र श्री गुरबरन भट्टाचार्य द्वारा 44–ए, गोखले विहार मार्ग, प्रथम तल लखनऊ, उ0प्र0 भारत 226001 एवं: निवासी फ्लैट नं0 303, तृतीय तल, ब्लाक–ए, ग्राण्डयोर अपार्टमेंट–II, डालीबाग, बटलर रोड, लखनऊ, उ0प्र0–226001	**श्रीमती प्रतिवा भट्टाचार्य** पुत्री श्री सोमेश चन्द्र सिन्हा निवासी फ्लैट नं0 303, तृतीय तल, ब्लाक–ए, ग्राण्डयोर अपार्टमेंट–II, डालीबाग, बटलर रोड, लखनऊ, उ0प्र0–226001	स्थित निवासी फ्लैट नं0 303, तृतीय तल, ब्लाक–ए, ग्राण्डयोर अपार्टमेंट–II, जियामऊ, परगना एवं जिला लखनऊ, उ0प्र0–226001, जोकि **सुब्राता भट्टाचार्य** के नाम **क्षेत्रफल–74.349 वर्ग मी0** **चौहद्दी : पूर्व** : रास्ता, **पश्चिम:** मकान के. के. कालरा, **उत्तर** : फ्लैट नं0 305, **दक्षिण:** फ्लैट नं0 301,	रू. 7,37,910.00 एवं रू. 1,36,277.00 दिनांक 14.05.2018 + देय ब्याज व अन्य खर्चे	16.05.2018 **कब्जा दिनांक 20.10.2018**

उपरोक्त में बन्धककर्ता / जमानतकर्ता को ताकीद किया जाता है कि वह 30 दिनों के अन्दर देयता का भुगतान कर दें अन्यथा नियम 8 व 9 (इंफोर्समेन्ट) रूल, 2002 के तहत बन्धक सम्पत्ति का विक्रय कर दिया जायेगा। **(प्रा0 अधिकारी)**

दिनांक : 26.10.2018, स्थान : लखनऊ **एक्सिस बैंक लि0**

सूचकांक 341 अंक टूटा

मुंबई, 26 अक्तूबर (भाषा)।

शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। बीएसइ सूचकांक शुक्रवार को करीब 341 अंक की गिरावट के साथ 33,349.31 पर सात माह के निम्न स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में गिरावट और घरेलू बाजार में नकदी की चिंता से निवेशक बाजार से दूर रहे। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 94.90 अंक टूटकर 10,030.00 अंक पर बंद हुआ। कारोबारियों के अनुसार डालर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट और नकदी की तंगी से धारणा कमजोर बनी हुई है। कारोबारियों के मुताबिक मारुति सुजुकी, यस बैंक और कुछ अन्य कंपनियों के कमजोर वित्तीय नतीजे से बिकवाली दबाव देखा गया।

तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक कारोबार के दौरान 33,776.80 से 33,298.43 अंक के दायरे में रहा। अंत में यह 340.78 अंक की गिरावट के साथ 33,349.31 अंक पर बंद हुआ। यह पांच अप्रैल के बाद सूचकांक का सबसे न्यूनतम स्तर है। उस समय यह 33,596.80 अंक पर था। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 94.90 अंक यानी 0.94 फीसद की गिरावट के साथ 10,030 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 10,128.85 से 10,004.55 अंक के बीच घटता बढ़ता रहा।

कार्यालय ऋण वसूली अधिकारी–।।
ऋण वसूली अधिकरण–।।, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं 80/2016

विक्रय की उद्घोषणा

ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम श्रीमती सैफीना

ऋणों की वसूली हेतू बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 52(2) के अन्तर्गत विक्रय उद्घोषणा

सीडी#1 श्रीमती सैफीना पत्नी मो. अहसान फ्लेट नं. 3/121, निचला भूतल श्रेणी-एफ, सेक्टर-3, वैशाली गाजियाबाद-201010 (उप्र) यहां भी: बी-3, प्लॉट नं. 23, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद।

सीडी#2 मो. अहसान फ्लैट नं. 3/121, निचला भूतल श्रेणी-एफ, सेक्टर-3, वैशाली गाजियाबाद-201010 (उप्र) यहां भी: बी-3, प्लॉट नं. 23, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद।

सीडी#3 मो. तसलीम पुत्र स्व. मो. सलीम निवासी 31/7, सेक्टर-2, वैशाली, गाजियाबाद-201010 (उप्र)

1. यतः पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण-।। दिल्ली द्वारा आहरित वसूली प्रमाण पत्र मख्या 80/2016 तिथि 16.06.2016 के द्वारा रू.14,10,881/- (रूपये चौदह लाख दस हजार आठ सौ इक्यासी मात्र) है, प्रमाणित देनदारों द्वारा संयुक्त अथवा व्यक्तिगत रूप से रू.14,10,881/- (रूपये चौदह लाख दस हजार आठ सौ इक्यासी मात्र) 13% प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दिनांक 08.05.2015 से प्रभावी कुल वसूली होने तक लागत रूपये रू. 16,000 भुगतान किये जाने योग्य है।
2. और यतः अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतू नीचे तालिका में वर्णित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी तथा बोली प्रक्रिया के द्वारा ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक बोली के जरिये वेबसाईट पोर्टल **https://www.drt.auctiontiger.net** मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज प्रा. लि. ए-801, 8वां तल, वाल स्ट्रीट-II, गुजरात कॉलिज, आरियन्ट क्लब के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006, सम्पर्क नं. 079-410752508/40230824/823/821, सम्पर्क व्यक्ति: श्री कुशल कोठारी, सम्पर्क नं. 8980690773/9978591888, ई-मेल: **kushal@auctiontiger.net** तथा श्री नितिश झा, सम्पर्क नं. 8800896847, ई-मेल: **delhi@auctiontiger.net** पर दिनांक 28.11.2018 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे के मध्य, दोपहर 12:00 बजे के पश्चात यदि आवश्यक हो तो 5:00 मिनट क समय विस्तार के साथ बेची जाएगी।
4. उपरोक्त नामित **CD's** की संम्पत्ति बेची जायेगी तथा जिनका विवरण अनुसूची में उल्लेखित है तथा देनदारियों तथा कथित संपत्ति में सलंग्न जब तक निर्धारित की गयी देनदारियों एवं दावों के रूप यदि कोई है, प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में निर्दिष्ट की जा रही है।
5. सम्पत्ति की बिक्री अनुसूची ने निर्दिष्ट निदेशों के अनुसार की जाऐगी। यदि सम्पत्ति के एक अंश की बिक्री से वसूली योग्य राशि पूरी हो जाती है तब शेष सम्पत्ति की बिक्री तत्काल रोक दी जाऐगी। बिक्री तब भी रोक दी जाऐगी यदि किसी लॉट की बिक्री से पहले उक्त प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशि, लागतों (बिक्री की लागत सहित) बिक्री संचालित कर रहे अधिकारी को सौंप दी जाती है अथवा उसकी संतुष्टि हेतु प्रमाणपत्र दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि ब्याज तथा लागतों सहित अधोहस्ताक्षरी का अदा की जा चुकी है।
6. बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति बेची जाने वाली संपत्ति को अर्जित करने या अर्जित करने के प्रयास हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नही लगा सकता।
7. यह बिक्री आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची में निहित शर्तों तथा उसके तहत नियमों के तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही की जाएगी।

7.1 संलग्न अनुसूची ने विनिर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वोतम जानीकारी के अनुसार वर्णित किये गये है परन्तु अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटी, मिथ्याकथन अथवा चूक के लिए उत्तरदायी नही होगे।

7.2 सम्पत्ति के संदर्भ में आरक्षित मूल्य रूपये 2,92,000/- (रूपये दो लाख बानवे हजार मात्र) से कम पर सम्पत्ति नहीं बेची जायेगी। तथा धरोहर राशि जमा रू. 29,200/- (रूपये उन्तीस हजार दो सौ मात्र) रहेगी।

7.3 इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होने अपनी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं स्वहस्ताक्षरी पहचान दस्तावेज की प्रति (वोटर आई कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट) जिसमें भविष्य के पत्राचार हेतु पता तथा स्वहस्ताक्षरित पैन कार्ड की प्रति तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित किये हुए रिजोल्यूशन या अन्य कोई दस्तावेज जो कम्पनी का प्रतिनिधित्व/ अधिकृत्ता की पुष्टि करता है के साथ वसूली अधिकारी- ।।, डीआरटी-।।, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 26.11.2018 को सायं 4.00 बजे तक जमा कराई है वे ही दिनांक 28.11.2018 को प्रातः 11.00 से दोपहर 12.00 बजे के मध्य होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने हेतु योग्य होगें। बोली यदि ई-नीलामी संपत्ति हेतु निर्धारित समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो उस दशा में ई-नीलामी बंद होने का समय 5 मिनट स्वतः बढ़ जायेगा।

7.4 बोलीदाता अपनी बोली रू. 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) के गुणकों में बढ़ाएगें।

7.5 संभावित बोलीदाता साइट का निरीक्षण 19.11.2018 एवं 20.11.2018 को प्रातः 10:30 से सायं 04:00 बजे तक कर सकते है।

7.6 असफल बोलीदाता अपनी धरोहर राशि ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया बंद होने के तत्काल बाद प्रत्यक्ष रूप से वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।, दिल्ली/सीएचएफआई–अर्थात सीएच बैंक की मुख्य शाखा अर्थात ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, प्लॉट नं. 17, लोकल शापिंग काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, मयूर विहार, फेज-।।, दिल्ली से प्राप्त कर सकते है।

7.7 सफलतम/उच्चतम बोलीदाता को बोली/ बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि वसूली अधिकार -।।, डीआरटी-।।, दिल्ली, खाता आर सी नं. 80/2016 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर द्वारा अगले कार्यदिवस सायं 4.00 बजे तक इस अधिकरण में जमा करवाना होगा

7.8 सफलतम/उच्चतम बोलीदाता संपत्ति बिक्री मूल्य का बकाया 75 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।, दिल्ली खाता आर सी नं. 80/2016 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के द्वारा सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।, दिल्ली के समक्ष जमा करेगा और यदि 15 वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर किया जायेगा। 15 दिन के पश्चात यह भुगतान रू. 1,000 तक 2% की दर से तथा उसके बाद 1000 रूपये की सकल राशि पर 1% की दर से पाउण्डेड फीस सहित रजिस्ट्रार, डीआरटी ।।, दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा। (यदि शेष 75% राशि डाक के द्वारा भेजी जाती है तो वह उपरोक्तानुसार वसूली अधिकारी तक पहुंच जानी चाहिए)

7.9 निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक की स्थिति में उक्त संपत्ति की पुनः बिक्री नई उद्घोषणा जारी करके की जाएगी। उस स्थिति में चूककर्ता क्रेता के द्वारा जमा राशि को अधोहस्ताक्षरी यदि उचित समझता है तो विक्रय के खर्चे समायोजित किये जाने के पश्चात सरकारी खाते में जब्त कर ली जायेगी एवं उस स्थिति ने चूककर्ता क्रेता के उक्त संपत्ति के सम्बंध में या राशि के किसी भाग के सम्बंध में प्राप्त समस्त अधिकार जब्त हो जायेगें। जिनका बेचान किया जा सकता है।

8 धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर के द्वारा ''वसूली अधिकारी–।।, डीआरटी–।।,दिल्ली–खाता आर सी नं. 80/2016'' के पक्ष में या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निम्नलिखित खाता ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स, सीएच बैंक की मुख्य शाखा प्लॉट नं. 17, लोकल शापिंग काम्पलेक्स, बी-ब्लाक, मयूर विहार, फेज-।।, दिल्ली खाता संख्या 11291181000026, **IFSC Code ORBC0101129** में जमा करा सकते है। उक्त कथित डिमाण्ड ड्राफ्ट पे आर्डर या वास्तविक प्रूफ एनईएफटी/आरटीजीएस के रूप में धरोहर राशि के साथ तथा साथ में पहचान पत्र की अभिप्रमाणित कॉपी (वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) जो कि भविष्य में पत्राचार हेतु पते के रूप में शामिल किया जायेगा तथा स्वहस्ताक्षरित पैन कार्ड की कॉपी कम्पनी की दशा में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित किये हुए रिजोल्यूशन या अन्य कोई दस्तावेज जो कम्पनी का प्रतिनिधित्व/ अधिकृत्ता की पुष्टि करता है के साथ वसूली अधिकारी- ।।, डीआरटी-।।, दिल्ली के कार्यालय में दिनांक 26.11.2018 को सायं 4.00 बजे से पहले पहुँच जाने चाहिए। एकलब्यक्ति की दशा